राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.7 (538)परि/नियम/मु./2014|32919 जयपुर, दिनांक :– 30|12|2015

कार्यालय आदेश 41 /2015

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा सिविल रिट पिटीशन संख्या 2009/2014, गौ रक्षा दल सेवा समिति बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.05.2015 में पशु परिवहन में उपयोग में लाए जाने वाले यानों में विशेष अपेक्षाऐं की गई है।

इस क्रम में लेख है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सा.का.नि. 546 (अ) दिनांक 08.07.2015 द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 125E अन्तः स्थापित किया गया है। केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 125E के प्रावधान 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगें। अतः पशु परिवहन प्रयोजनार्थ उपयोग में लाए जाने वाले यानों में उक्त नियम 125E की पालना सुनिश्चित की जानी है।

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125E की पालना हेतु निम्न दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते है:–

1. पशु परिवहन के उपयोग में लाए जाने वाले यान भारतीय मानक ब्यूरो के मानक IS14904:2007 अथवा IS5238:2001 अथवा IS5236:1982 के अनुसार होंगे। (प्रति संलग्न)
2. पशु परिवहन प्रयोजनार्थ उपयोग में लाए जाने वाले यानों में परिवहन किए जाने वाले पशु के अनुसार निम्न क्षेत्रफल का स्थायी विभाजन होगा –

   (i) गाय व भैंस – 2 वर्ग मीटर

   (ii) घोड़ा व घोड़ी – 2.25 वर्ग मीटर

   (iii) भेड़ व बकरी – 0.3 वर्ग मीटर

   (iv) सूअर – 0.6 वर्ग मीटर

   (v) कुक्कुट (पोलट्री) – 40 वर्ग से.मी.

   अर्थात् यान में प्रत्येक पशु हेतु उपरोक्त निर्धारित क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल का स्थायी विभाजन होने पर यान को पशुधन परिवहन हेतु अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जा सकेगी।

3. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125 E(2) के अनुसार पशु परिवहन करने वाले यानों को विशेष अनुज्ञप्ति जारी कर सकेगा। अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी स्वंय इस तथ्य की संतुष्टि करेगा की पशु परिवहन प्रयोजनार्थ उपयोग में लाये जा रहे यान भारतीय मानक ब्यूरो के मानक IS14904:2007 अथवा IS5238:2001 अथवा IS5236:1982 द्वारा स्थापित मानकों की पालना करते है। साथ ही ऐसे यानों में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पशु के प्रकार के अनुसार बिन्दु संख्या 2 में निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल का स्थायी विभाजन होने को सुनिश्चित किया जावेगा।
4. पशु परिवहन के उपयोग में लाए जाने वाले यानों में अन्य किसी माल का परिवहन नहीं किया जाएगा एवं इस हेतु निर्मित/अनुज्ञापत्र धारक वाहन के अतिरिक्त अन्य किसी यान से पशु परिवहन नहीं हो ,की सुनिश्चितता प्रर्वतन कर्मियों को दिशा निर्देश प्रदान कर की जावें।
5. पशुधन परिवहन के सबंध में राजस्थान मोटर यान नियम,1990 के नियम 5.20 में वर्णित प्रावधानों की पालना भी पूर्वानुसार ही सुनिश्चित की जावें।

(गायत्री सठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि :

क्रमांक :– प.7 (538)परि/नियम/मु./2014/32920–32924 जयपुर, दिनांक : 30.12.

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण .....।
3. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी .....।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)